अत्यावश्यक
नगरपालिका आम/उप
निर्वाचन–2023

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्रांक–न0नि0 50–32/2022...2004...

प्रेषक

दिनेश कुमार,
उप सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)
(कैमूर जहानाबाद, कटिहार, अरवल, मधेपुरा,
शेखपुरा एवं बेगूसराय जिला को छोड़कर)

पटना, दिनांकः–31.5.23

विषयः– नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2023 में आदर्श मतदान केन्द्र एवं पिंक मतदान केन्द्र बनाने के संबंध में।

प्रसंगः– आयोग का पत्रांक–4538 दिनांक–29.09.2022

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान प्रणाली को और अधिक महत्व देने के उद्देश्य से और मतदाताओं के लिए मतदान के संपूर्ण अनुभव को आनंददायक एवं पुष्टिकारक बनाने के लिए आदर्श मतदान केन्द्र एवं पिंक मतदान केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया है।

1. नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 में भी आदर्श मतदान केन्द्र स्थापित किये गये थे। **नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2023 में प्रत्येक नगर निगम में 02 मतदान केन्द्र, नगर परिषद में 02 मतदान केन्द्र एवं नगर पंचायत में 01 मतदान केन्द्रों को आदर्श मतदान केन्द्र बनाने का आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है।**

आदर्श मतदान केन्द्र की स्थापना से संबंधित मापदण्ड निम्नवत् है :–

(क) भवन एवं सुविधाओं की वास्तविक संरचना–

(i) अच्छी स्थिति में भवन जिसकी दीवार पर नया पेंट किया गया हो
(ii) मतदान केन्द्र के भवन में आसान पहुंच हो
(iii) मतदान कर्मियों एवं मतदान अभिकर्ताओं के लिए अच्छी फर्नीचर की व्यवस्था हो
(iv) फाइबर ग्लास का मतदान कक्ष (कम्पार्टमेन्ट)
(v) डिस्प्ले बोर्ड/साइनेज अर्थात् मतदान केन्द्र/नगरपालिका का नाम, निर्वाचन आयोग का प्रतीक (लोगो), "निकास", प्रवेश, जैसे संकेतक (साइनेज), बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो
(vi) बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं अर्थात् बिजली (जेनरेटर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पेट्रोमैक्स) पृथक शौचालय, पेयजल शेड, रैंम्प एवं विकलांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर्स।
(vii) मतदाता सहायता बूथ, जहां बूथ लेवल अधिकारी तैनात हो जिसके पास अवितरित मतदाता पर्चियां हो।

(ख) **बेहतर कतार प्रबंधन :–**

(i) स्वयंसेवियों की सहायता से टोकन का वितरण, कतार में मतदाताओं को पेयजल की सुविधा प्रदान करना

(ii) दृष्टिविहीन/अशक्त/वृद्ध मतदाताओं, गर्भवती महिलों/स्तनपान कराने वाली माताओं आदि के लिए प्राथमिकता के आधार पर मतदान कराने की व्यवस्था

(iii) कतार में मतदाताओं के लिए बैठने की व्यवस्था

(ग) मतदान स्टाफ/स्वयंसेवियों का व्यवहार :–

(i) मतदान स्टाफ के लिए एक समान पोशाक का रंग हो

(ii) चिकित्सा/प्राथमिक उपचार की व्यवस्था

(iii) मतदाताओं से प्रतिक्रिया लेने की व्यवस्था

(iv) सेल्फी प्वाइन्ट का निर्माण– जहाँ पर पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने वाले युवा इस क्षण को यादगार बनाने हेतु अपनी सेल्फी ले सके।

उक्त मानदण्डों के अनुरूप नगरपालिका हेतु निर्धारित संख्या के अनुरूप आदर्श मतदान केन्द्रों की स्थापना की जाए।

2. आदर्श मतदान केन्द्रों के अतिरिक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा **प्रत्येक नगर निगम में 02 मतदान केन्द्र, नगर परिषद में 02 मतदान केन्द्र एवं नगर पंचायत में 01 मतदान केन्द्र को पिंक मतदान केन्द्र के रूप में स्थापित किया जाएगा।** इन मतदान केन्द्रों पर पूर्णतः महिला मतदान पदाधिकारी/कर्मी एवं महिला सुरक्षा कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। आदर्श मतदान केन्द्र पर उपलब्ध कराये जाने वाले सभी सुविधाओं के अलावा पिंक मतदान केन्द्र का साईनेज, कारपेट, टेन्ट, गुब्बारे इत्यादि पिंक रंग के होने चाहिए।

3. इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिले में महिला कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर मतदान दल में महिला मतदान कर्मियों की नियुक्ति कर सकते हैं, परन्तु इस प्रकार के मतदान केन्द्र पर कम से कम दो महिला मतदान कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।

मतदान केन्द्रों पर महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति किये जाते समय यह ध्यान रखा जाए कि महिला मतदान कर्मियों की नियुक्ति डेटाबेस में उपलब्ध कर्मियों में से Manually की जाएगी एवं महिला मतदान कर्मियों को संबंधित नगरपालिका के उस वार्ड से बाहर नियुक्त किया जाएगा, जिस वार्ड की मतदाता सूची में उनका नाम अंकित है। ऐसे सभी मतदान केन्द्रों के संबंध में सूचना यथाशीघ्र भेजी जाय, साथ ही मतदान के दिन इन केन्द्रों की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराकर आयोग को भी भेजी जाए।

अतः अनुरोध है कि उक्त निदेश के आलोक में आदर्श मतदान केन्द्रों की स्थापना किया जाए।

विश्वासभाजन

31/5/23

उप सचिव

ज्ञाप संख्या– न0नि0 50–32/2022 2004 पटना, दिनांक 31.5.23

प्रतिलिपि– राज्य निर्वाचन आयोग के मिडिया प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आपको निदेश दिया जाता है कि आर्दश मतदान केन्द्र एवं पिंक मतदान केन्द्र का सैम्पल तैयार करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किया जाए।

31/05/2023

उप सचिव।

ज्ञाप संख्या– न.नि.–50–32/2022 2004 पटना, दिनांक 31.5.23

प्रतिलिपि– आई.टी.सेल को आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/05/23

उप सचिव।

ज्ञाप संख्या– न0नि0 50–32/2022 2004 पटना, दिनांक 31.5.23

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

31/05/2023

उप सचिव।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847| E-mail: secbihar@gmail.com